न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज, जिला बारां, राज0

पीठासीन अधिकारी चंदन दुबे (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं0 95/16
दायरा दिनांक 30.08.2016
निर्णय दिनांक 04.10.2019

बउनवान

1. गोविन्दा आयु 68 वर्ष पुत्र माधोलाल
2. सुन्दरलाल पुत्र माधोलाल आयु 61 वर्ष
3. गिरधारी आयु 55 वर्ष पुत्र श्री माधोलाल
4. उमा आयु 50 वर्ष पुत्री माधोलाल
5. रूकमणी आयु 45 वर्ष पुत्री माधोलाल
6. कल्ली आयु 95 वर्ष बेवा माधोलाल
7. बृजराज आयु 32 वर्ष पुत्र मांगीलाल
8. बहादुर आयु 29 वर्ष पुत्र मांगीलाल
9. नृसिंह आयु 27 वर्ष पुत्र मांगीलाल
10. पार्वती आयु 40 वर्ष पुत्र मांगीलाल
11. निर्मल आयु 65 वर्ष पुत्र मांगीलाल
12. रामकंवरी आयु 65 वर्ष बेवा मांगीलाल
13. जातियान चाण्डाल (वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार जाति चन्देल निवासीगण भंवरगढ़ तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0)

वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज, जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा, 88,89,188,आर0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक :—04.10.2019

वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर0टी0एक्ट जरिये अभिभाषक श्री विजय नागर इस आशय का पेश किया

1. यह कि वादीगण के कब्जे काश्त एवं खाते की आराजी वाके ग्राम भंवरगढ तहसील किशनगंज पटवार हल्का भंवरगढ़ जिला बारां (राज0) मे स्थित आराजी ख0न0 2077 रकबा 1.19 बीघा ख0न0 2078 रकबा 0.09 बीघा, ख0न0 2178 रकबा 2.14 बीघा, ख0न0 2177 रकबा 13.11 बीघा कुल किता 4 कुल रकबा 18.13 बीघा स्थित है उक्त आराजी को वादपत्र मे आगे वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है।

2. यह कि विवादग्रस्त आराजी सेटलमेन्ट से राजस्व रिकॉर्ड मे सम्वत् 2000 से 2003 तथा 2004 से 2007 तथा सम्वत् 2012 से 2015 मे जाति चिण्डाल दर्ज है, जबकि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मे जाति चन्देल दर्ज है जिसे वादीगण चाण्डाल दर्ज करवाने के अधिकारी एवं नालिशी है वादीगण के अन्य परिवाजनो की जाति राजस्व रिकॉर्ड मे चाण्डाल दर्ज है।
3. यह कि वादीगण की जाति वादग्रस्त आराजी के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मे चन्देल दर्ज होने के कारण सवर्ण जाति मे शामिल होना माना गया है, जबकि उनके पूर्वजो के राजस्व रिकॉर्ड मे उनकी जाति चाण्डाल दर्ज थी, चाण्डाल जाति को राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति मे माना गया है। वादीगण के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मे जाति चन्देल दर्ज होने के कारण वे राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुसूचित जाति के कई लाभो से वंचित हो रहे है, अतः वादग्रस्त आराजी ग्राम भंवरगढ के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मे जातिसूचक शब्द चन्देल के स्थान पर चाण्डाल दर्ज करवाना आवश्यक हो गया है अतः इस हेतु वादीगण द्वारा यह घोषणा का वाद पत्र न्यायालय श्रीमान् मे प्रस्तुत किया जा रहा है।
4. यह कि वादीगण ने तहसीलदार साहब किशनगंज व अन्य राजस्व कर्मचारियों से वादीगण के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मे जाति चन्देल के स्थान पर चाण्डाल दर्ज करने हेतु निवेदन किया परन्तु उन्होने कोई कार्यवाही नही करने से वादीगण द्वारा राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय बारां व तहसीलदार किशनगंज को नोटिस दिनांक 25.08.2016 को देने पर वाद कारण उत्पन्न हुआ है।
5. यह कि वादग्रस्त आराजी के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मे वादीगण की जाति चन्देल के स्थान पर पूर्व राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर चाण्डाल दर्ज करवाने हेतु वादग्रस्त आराजी के लेण्ड होल्डर राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर बारां व तहसीलदार साहब किशनगंज को धारा 80सी0पी0सी0 का 2 माह का नोटिस दिनांक 25.08.2016 को दिया जा चूका है। नोटिस अवधि की समाप्ति से पूर्व 80(2) सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र के साथ वाद पत्र न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत है।
6. यह कि वादग्रस्त आराजी ग्राम भंवरगढ़ तहसील किशनगंज मे स्थित होने से वाद के श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।
7. यह कि वादपत्र उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य प्रस्तुत है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर इस आशय की डिक्री फरमाई जावे कि आराजी वाकेग्राम भंवरगढ पटवार हल्का भंवरगढ तहसील किशनगंज जिला बारां के माल मे स्थित खेवट खतोनी ख0न0 2077 रकबा 1.19 बीघा ख0न0 2078 रकबा 0.09 बीघा, ख0न0 2178 रकबा 2.14 बीघा, ख0न0 2177 रकबा 13.11 बीघा कुल किता 4 कुल रकबा 18. 13 बीघा के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मे वादीगण की जाति चन्देल के स्थान पर चाण्डाल दर्ज करने के आदेश प्रतिवादी क्रम 1 को प्रदान किये जाये ।

कि अन्य न्यायोचित सहायता भी वादीगण को प्रदान की जावे।

रिपोर्ट सरिस्ता ली गई प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी हेतु नोटिस सम्मन जारी किये नियत तिथि को प्रतिवादी क्रम 1 स्वयं उप0नियत तिथि को प्रतिवादी पेरोकार सरकार ने जवाब पेश किया जवाब मे कथन किया

1. दावे मे वर्णित मद संख्या 1 स्वीकार है।

2. दावे मे वर्णित मद संख्या 2 आशिक स्वीकार है यह कि सेटलमेन्ट पूर्व वादीगणों की जाति चिन्डाल दर्ज वर्तमान मे चन्देल दर्ज है अतः चिन्डाल ही दर्ज किया जाना उचित है न कि चाण्डाल।
3. दावे मे वर्णित मद संख्या 3 अस्वीकार है।
4. दावे मे वर्णित मद संख्या 4 अस्वीकार है।
5. दावे मे वर्णित मद संख्या 5,6,7 तहरीर कानूनी औपचारिकता है।

विशेष कथन है कि प्रार्थीगण को जाति चन्देल के बजाय चिन्डाल दर्ज किया जाना उचित है न कि चाण्डाल क्योकि सेटलमेन्ट के पूर्व रिकॉर्ड मे चिन्डाल दर्ज है।

<u>तनकी इस आशय की कायम की गई–</u>

1. आया वादीगण वादपत्र मद नं0 1 मे वर्णित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड मे जाति चाण्डाल दर्ज करवाने के अधिकारी है।

वादीगण

2. आया वादीगण चन्देल के स्थान पर चिण्डाल दर्ज करवाने के अधिकारी है।

प्रतिवादीगण

3. अन्य सहायता न्यायालय अनुसार

वादीगण

4. अनुतोष

अद्योपान विवेचानुसार वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर0टी0ए0 स्वीकार यौग्य है। अतः इस आशय का निर्णय पारित किया जाता है कि

<u>तनकीवार विश्लेषण</u>

1. तनकी सं0 1 को सिद्व करने का भार वादीगण पर था वादी द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड, साक्ष्यवादी पेश किये गये साक्ष्यों से उक्त तनकी को अपने पक्ष मे सिद्व करवाने मे सफल रहे है। अतः उक्त तनकी वादीगण के पक्ष मे सिद्व की जाती है।
2. उक्त तनकी वादीगण द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड के आधार पर वादीगण के पक्ष मे सिद्व की जाती है।

साक्ष्यवादी मे वादी अधिवक्ता ने pw-1 गिरधारी pw-2 लक्ष्मणलाल pw-3 रामचरण pw-4 फूलचन्द के बयान लेखबद्व करवाये दौराने साक्ष्य pw-1 गिरधारी ने जाहिर किया –संयुक्त परिवार की हमारे खाते व कब्जे काश्त की आराजी ग्राम भंवरगढ मे रकबा 18 बीघा 13 बिस्वा स्थित है। हमारे पुराने राजस्व रिकॉर्ड मे जाति चाण्डाल दर्ज है। जबकि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मे चन्देल है। राजस्व रिकॉर्ड मे बिना हमारी जानकारी के जाति को चाण्डाल से चन्देल राजस्व कर्मचारियों ने राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज कर दी। वर्तमान जमाबन्दी मे मुझे हमे जाति की जानकारी होने पर सरकार को जर्ये तहसीलदार को जर्ये अधिवक्ता 80 सी0पी0सी0 का नोटिस दिलाया जो प्रदर्श p-1 है राजस्थान सरकार को नोटिस देने के बाद वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मे जाति चन्देल के स्थान पर चाण्डाल दर्ज नही की। फिर मेने न्यायालय मे वाद पेश किया। जिसके समर्थन मे मेने राजस्व रिकॉर्ड मे जमाबन्दी खाता सं0 174 ख0न0 2077,2078,2176,2177 की जमाबन्दी पेश की है। जो प्रदर्श p-2 हैं। मेने सेटलमन्ट जमाबन्दी सम्वत् 2016–35 पेश की है। जो प्रदर्श – p-3 है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2000–2003 प्रदर्श– p-4 है नकल जमाबन्दी 2004–2007 पेश की जो प्रदर्श p-5 है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2012–2015 प्रदर्श– p-6 है। मेने ग्राम पंचायत भंवरगढ का प्रमाण पत्र कमला

बाई पुत्री नारायण लाल पत्नि गोविन्दा जाति चाण्डाल निवासी भंवरगढ का पेश किया है जो प्रदर्श p-7 है। जिस पर ए–बी के मध्य मेरे हस्ताक्षर है। कमला बाई मेरी भाभी है। मेने मिलान क्षैत्रफल ग्राम भंवरगढ का ख0न0 2077,2078,2176,2178 का प्रतिलिपि खारिज आवेदन प्रमाणित प्रति पेश की है जो प्रदर्श– p-8 है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मे हमारी जाति चन्देल के स्थान पर चाण्डाल दर्ज किया जावे।

प्रतिवादी साक्ष्य मे पेरोकार सरकार को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी कोई साक्ष्य पेश नही की साक्ष्य प्रतिवादी समाप्त की गई। वादी अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सूनी गई दौराने बहस वादी अधि0 ने वादपत्र में अंकित तथ्यो को दोहराया एवं निवेदन किया कि वादी के वादपत्र को स्वीकार किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गहनता से अध्ययन किया गया।

क्रियात्मक आदेश

वाकेग्राम भंवरगढ़ की आराजी ख0सं0 2077 रकबा 1.19 बीघा, ख0न0 2078 रकबा 0.09 बीघा, ख0न0 2178 रकबा 2.14 बीघा,ख0न0 2177 रकबा 13.11 बीघा कुल किता 4 कुल रकबा 18.13 बीघा के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मे वादीगण की जाति चन्देल के स्थान पर चाण्डाल दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार किशनगंज को दिये जाते है। निर्णय आज दिनांक 04.10.2019 को सरेइजलास सुनाया गया।

(चन्दन दुबे)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandan Dubey
Date: 2019.11.25 13:33:03 IST
Reason: SelfAttested
Location: